GCMS संख्या 2022 / 131
प्रकरण संख्या 102 / 22
डुलेसिंह बनाम तहसीलदार भीण्डर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 131

प्रकरण संख्या 102 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री डुलेसिंह बनाम तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 25.05.2022

1. प्रार्थी श्री डुलेंसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपुत निवासी फुसरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फुसरिया पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 148 में कुल किता 7 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि में डुलेसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 दर्ज है जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार रिकार्ड से पूर्व राजस्व रेकर्ड में स्थिति में मौजा फुसरिया पटवार मण्डल भोपाखेड़ा के खाता संख्या 161 की आराजी संख्या 325/2 रकबा 3–00 बीघा भूमि डुलेसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना कोई आदेश प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में त्रुटि कर दी गई है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करवाने का आदेश फरमावे। उक्त प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर को जवाब रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया।
2. तहसीलदार भीण्डर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मौजा फसरिया, पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 148 में डुलेसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 दर्ज है जो अशुद्ध है जबकि ग्राम फुसरिया पटवारी हल्का भोपाखेड़ा के साबिक आराजी संख्या 325/2 रकबा 3 बीघा भूमि में डुलेसिंह पिता सोहन सिंह जाति राजपुत [illegible] दर्ज है किन्तु भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान सहवन [illegible] राजपुत हिस्सा 1/3 अंकित हो गया है जो अ[illegible] रहा है जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न है। अतः तहसीलदार भीण्डर ने रि[illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी संवत् 2078–81 के मौजा फुसरिया के खाता संख्या 148 में डुले सिंह पिता मोहन सिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 के बजाय डुलेसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपुत किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

3. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया तथा तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत जवाब रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल. आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पत्रावली के तथ्य जिसमें मौजा फुसरिया पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 148 के कुल खसरा 7 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि डुलेसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 दर्ज है जबकि मौजा फुसरिया पटवार हल्का भोपाखेड़ा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 161 की साबिक आराजी संख्या 325/2 रकबा 3–0 बीघा भूमि डुलेसिंह पिता सोहन सिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 दर्ज है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम डुलेसिंह पिता सोहन सिंह दर्ज है। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन भूमि बन्दोस्त के दौरान प्रार्थी का नाम जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 148 के कुल खसरा 7 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि डुलेसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया है जो अशुद्ध है। अतः पत्रावली के अवलोकन से मौजा फुसरिया पटवार हल्का भोपाखेडा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 148 के कुल खसरा 7 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि डुलेसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 के स्थान पर डुलेसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मौजा फुसरिया पटवार हल्का भोपाखेडा की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 148 के कुल खसरा 7 का कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि में डुलेसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 के स्थान पर डुलेसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपुत हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

5. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नियमानुसार वापस होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:15 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर